

की। अतः वादी का वाप आदेश 9 नियम
5 के तहत खारिज किया जाता है। यत्र सर्व
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफतर हो।

उपस्यण्ड अधिकारी
दातारामगढ़ (सीकर)